न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 18.01.2021

जरिये मुनेश कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश पुत्र कानाराम जाति माली निवासी खाल का ढाबा टोडारायसिंह
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 2 मोटर मय रेगुलेटर पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्वंय

निर्णय

दिनांक : **14.11.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2021 प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा टोडारायसिंह शहर में अवैध गैस रिफिलिंग की दूरभाष पर शिकायत के आलोक में श्री कैलाश माली पुत्र श्री कानाराम निवासी खाल का ढाबा टोडारायसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किया जा रहे परिसर (श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता एसबीआई बैंक के सामने सरस्वती स्कूल के पास) किराये की दुकान पर आकस्मिक छापेमारी कर मौके पर तलाशी में 2 मोटर, जो वाहनों में गैस भरने में पर्युक्त होती है,मय रेगुलेटर पाईप व 24 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 275.4 किलोग्राम गैस (20 भरे, 4 खाली) पाये गये जिनके द्वारा मौके पर उपस्थित श्री कैलाश माली द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। श्री कैलाश द्वारा उक्त अनियतमितता कारित कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया जिसके कारण मौके पर अनाधिकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

रूप से पाये गये घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डरों के मौके पर जब्त किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0स0	एस0आर0 न0	कम्पनी का नाम	टेयर वेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार	शुद्ध गैस का भार
1	85863 T	IOC	15.6	29.6	14
2	266800 S	IOC	15.8	30.0	14.2
3	49165	IOC	16.8	31.0	14.2
4	545471E	IOC	15.8	30.0	14.2
5	55392	IOC	15.6	29.8	14.2
6	502392J	IOC	15.3	29.5	14.2
7	650860E	IOC	15.7	29.8	14.1
8	588268S	IOC	15.5	29.7	14.2
9	486986L	IOC	15.7	29.9	14.2
10	242840P	IOC	15.8	30.0	14.2
11	692559T	IOC	15.9	30.1	14.2
12	630395	IOC	15.6	29.8	14.2
13	435543D	IOC	15.7	29.9	14.2
14	318553	IOC	15.8	30.0	14.2
15	881964	IOC	16.0	30.0	14.0
16	1685733	IOC	15.5	29.7	14.2
17	082635S	IOC	15.6	29.7	14.2
18	936675S	IOC	15.6	29.8	14.2
19	824255T	IOC	15.6	29.5	13.9
20	407130S	IOC	15.8	22.2	6.4
21	104-1	IOC	15.6	15.6	0
22	1524585	IOC	15.5	15.5	0
23	92002	IOC	16.5	16.5	0
24	475152T	IOC	15.6	15.6	0
	योग				275.4

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार श्री कैलाश माली द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस को अवैध रूप से वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था तथा उक्त अवैध कारोबार आबादी क्षेत्र में स्थित होने से आस–पास रहने वाली आबादी के लिए खतरा पैदा किया जा रहा था । क्योंकि गैस विस्फोटक पदार्थ है जिसमे विस्फोट होने का खतरा रहता है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 06.01.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा टोडारायसिंह शहर में अवैध गैस रिफिलिंग की दूरभाष पर शिकायत के आलोक में श्री कैलाश माली पुत्र श्री कानाराम निवासी खाल का ढाबा टोडारायसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किया जा रहे परिसर (श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता एसबीआई बैंक के सामने सरस्वती स्कूल के पास) किराये की दुकान पर आकस्मिक छापेमारी कर मौके पर तलाशी में 2 मोटर, जो वाहनों में गैस भरने में पर्युक्त होती है,मय रेगुलेटर पाईप व 24 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 275.4 किलोग्राम गैस (20 भरे, 4 खाली) पाये गये जिनके द्वारा मौके पर उपस्थित श्री कैलाश माली द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर उपस्थित श्री कैलाश माली से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उक्त दुकान उनके द्वारा किराये पर ली गई है,जिसमे वाहनों में 50 रूपये मजदूरी लेकर गैस भरने का कार्य किया जाता है। उक्त अवैध कारोबार परिसर आबादी क्षेत्र में स्थित है तथा श्री कैलाश द्वारा आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जा रहा है जो कि विस्फोटक पदार्थ है। आसपास की आबादी के जानमाल के लिए खतरा है जिसके आलोक में मौके पर प्राप्त सामग्री 2 मोटर जो वाहनों में भरने में पर्युक्त होती है,मय रेगुलेटर पाईप 24 घरेलू गैस सिलेन्डर भय 275.4 किलोग्राम गैस (20 भरे 4 खाली) को जब्त कर मै0 टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह को मौके पर सपुर्दगी में दिया गया। श्री कैलाश द्वारा उक्त अनियतमितता कारित कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। मौके पर अनाधिकृत रूप से पाये गये घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डरों के मौके पर जब्त किया गया।

इस प्रकार श्री कैलाश माली द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस को अवैध रूप से वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था तथा उक्त अवैध कारोबार आबादी क्षेत्र में स्थित होने से आस–पास रहने वाली आबादी के लिए खतरा पैदा किया जा रहा था । क्योंकि गैस विस्फोटक पदार्थ है जिसमे विस्फोट होने का खतरा रहता है। एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण जब्त किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

तथा जब्त गैस सिलेण्डर को सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु मौके पर ही मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह को सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करे व्यवसायी ने उक्त कृत कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 275.4 किलोग्राम गैस 2 मोटर मय रेगुलेटर पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 06.01.2021 के अनुसार श्री कैलाश माली पुत्र श्री कानाराम निवासी खाल का ढाबा टोडारायसिंह द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किया जा रहे परिसर (श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता एसबीआई बैंक के सामने सरस्वती स्कूल के पास) किराये की दुकान पर आकस्मिक छापेमारी करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य करने के कारण उक्त 24 सिलेण्डर मय दो मोटर रेगुलेटर पाईप सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0स0	एस0आर0 न0	कम्पनी का नाम	टेयर वेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार	शुद्ध गैस का भार
1	85863 T	IOC	15.6	29.6	14
2	266800 S	IOC	15.8	30.0	14.2
3	49165	IOC	16.8	31.0	14.2
4	545471E	IOC	15.8	30.0	14.2
5	55392	IOC	15.6	29.8	14.2
6	502392J	IOC	15.3	29.5	14.2
7	650860E	IOC	15.7	29.8	14.1
8	588268S	IOC	15.5	[illegible]	14.2
9	486986L	IOC	15.7	[illegible]	14.2
10	242840P	IOC	15.8	30.0	14.2

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

11	692559T	IOC	15.9	30.1	14.2
12	630395	IOC	15.6	29.8	14.2
13	435543D	IOC	15.7	29.9	14.2
14	318553	IOC	15.8	30.0	14.2
15	881964	IOC	16.0	30.0	14.0
16	1685733	IOC	15.5	29.7	14.2
17	082635S	IOC	15.6	29.7	14.2
18	936675S	IOC	15.6	29.8	14.2
19	824255T	IOC	15.6	29.5	13.9
20	407130S	IOC	15.8	22.2	6.4
21	104-1	IOC	15.6	15.6	0
22	1524585	IOC	15.5	15.5	0
23	92002	IOC	16.5	16.5	0
24	475152T	IOC	15.6	15.6	0
	योग				275.4

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 24 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर केलाश तथा रतन लाल जाट के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी कैलाश व रतन लाल जाट के हस्ताक्षर है। मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के प्रतिनिधि रतन लाल जाट को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 24 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 275.4 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested